नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिए

संषोधित निविदा प्रपत्र

क्र. 1889 / 6(2) / सम्पदा / 39 / एनआरडीए / 2015 नया रायपुर, दिनांक 23 / 04 / 2015

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

केपिटल काम्प्लेक्स, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) – 492002

दूरभाष 07712511400, फैक्स 07712511400

ई–मेल : ceo@nayaraipur.com, वेब साइट – www.nayaraipur.gov.in

नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिये निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा प्रपत्र निम्नांकित को जारी –

मेसर्स / श्री ____

____

____

मनी रसीद बुक नं. ______________, रसीद नं.______________, दिनांक ____ / ____ / 2015

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
नया रायपुर

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह निविदा भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदा दाता द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. निविदा दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज टेंडर जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देष्य और आवष्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवष्यक नहीं है। अतः निविदा भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्ष प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं भरें।
4. निविदा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए दायी नहीं होंगे।
5. निविदा आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट www.nayaraipur.gov.in में सूचना प्रकाषित करते हुए, स्व–विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, निविदा सूचना की शर्तों, तिथि इत्यादि में संषोधन किया जा सकता है या निविदा दस्तावेजों को पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। उक्ताषय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।

nayaraipur
नया रायपुर

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

केपीटल काम्पलेक्स, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.)–492002

दूरभाष : 0771–2511500, फैक्स : 2511400 ई–मेल ceo@nayaraipur.com www.nayaraipur.com

क्र. 1889/6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 23/04/2015

नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिए निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

नया रायपुर में विभिन्न स्थानों पर निष्चित आकार के लगभग 1000 वर्गमीटर के सकल क्षेत्रफल पर होर्डिंग लगाने हेतु लाइसेंस के लिए प्रतिष्ठित एडवरटाईजिंग एजेंसी से निर्धारित निविदा प्रपत्र में सीलबंध लिफाफे में <u>दिनांक 27.04.2015 के अपरान्ह् 3.00 बजे</u> तक दरें आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराहन 3.30 बजे खोली जायेंगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. <u>निविदा फार्म</u> – निर्धारित निविदा फार्म रू. 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) नगद जमा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. के केपीटल काम्पलेक्स सेक्टर–19 स्थित कार्यालय से निविदा तिथि के एक दिन पूर्व तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है या वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा जमा करते समय 5000/– रू. की डीडी द्वारा जमा किये जा सकते हैं। निविदा फार्म की राषि जमा करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. <u>अर्नेस्ट मनी</u> –

(i) निविदा दाता को निविदा के साथ रूपये 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र) की राषि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को रायपुर/नया रायपुर के बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर या बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित राषि एवं स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा करना नहीं पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि यह पाया जायेगा कि निविदादाता द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी दी गई है तो उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात कर ली जायेगी एवं जमा की गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) सफल निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राषि सुरक्षा निधि में समायोजित कर ली जायेगी।

(iv) अन्य निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी निविदा स्वीकृति के दो सप्ताह के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4. <u>आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क</u> – आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) प्रति वर्गमीटर है। निविदाएँ अधिकतम वार्षिक लाइसेंस फीस के लिए आमंत्रित की गई है। आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क से कम राषि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिकतम वार्षिक लाइसेंस फीस उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

5. **न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव** – निविदा दाता को निम्नलिखित वित्तीय क्षमता एवं अनुभव होना आवष्यक है–

(1) निविदा दाता अर्थात प्रतिष्ठित एडवरटाईजिंग एजेंसी को विज्ञापन क्षेत्र में कम से कम 05 वर्षों (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में) के कार्य करने का अनुभव होना आवष्यक है। इसके संबंध में चार्टेड एकाउंटेण्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवष्यक होगा।

(2) निविदा दाता (एडवरटाईजिंग एजेंसी) का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रूपये एक करोड़ मात्र होना आवष्यक है। निविदा दाता को इसके समर्थन में चार्टेड एकाउंटेण्ट से प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(3) निविदा दाता (एडवरटाईजिंग एजेंसी) को पेन कार्ड एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवष्यक होगा।

6. <u>अनुबंध अवधि</u> – नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने हेतु सफल निविदा दाता से प्रथमतः तीन वर्ष का अनुबंध किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की अनुबंध फीस पर 5 प्रतिषत की वृद्धि देय होगी। अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् 15 दिनों के भीतर या उसके पूर्व धर्मावसान पर निविदा दाता अपनी सामाग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा अन्यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. द्वारा होर्डिंग हटा दिया जायेगा एवं उसमें होने वाले व्यय की वसूली संबंधित एडवरटाईजिंग एजेंसी से की जायेगी।

7. <u>निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका</u> –

(1) निविदा दो – लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी –

i. **लिफाफा–ए** : इस लिफाफे में टर्न ओवर/अनुभव एवं पेन कार्ड, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र, अर्नेस्ट मनी एवं निर्धारित प्रारूप जो निविदा पत्र के साथ संलग्न है, जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफा बंद कर उसके ऊपर निविदा का नाम नया रायपुर में विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिये निविदा – लिफाफा–ए'' तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवष्यक होगा।

ii. **लिफाफा–बी** : इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरें शब्दों एवं अक्षरों दोनों में भरी जावे। यदि कोई कांट–छांट या संषोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति–हस्ताक्षर किये जाये। शब्दों एवं अक्षरों या कांट–छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

iii. उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् लिफाफा–ए तथा लिफाफा–बी एक बड़े लिफाफे में बंद कर निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. <u>निविदा खोले जाने की विधि</u> –

(i) निर्धारित तिथि में निविदा जमा करने का समय समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष, की जायेगी। सबसे पहले बाहरी लिफाफा खोला जायेगा उसके बाद लिफाफा–ए खोला जायेगा।

(ii) लिफाफा–ए के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद केवल पात्र पाये गये निविदा दाताओं के लिफाफा–बी अन्य तिथि में, उन्हें उपस्थिति हेतु सूचना देते हुए निर्धारित की गयी तिथि को खोले जायेंगे और प्राप्त निविदा दरों की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी।

(iii) प्राप्त उच्चतम निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उचित पाया गया तो आवष्यकतानुसार निगोषियेषन के उपरांत या बिना निगोषियेषन किये निविदा स्वीकृत की जायेगी।

(iv) बिना कोई कारण बताये प्राप्त समस्त निविदायें या कोई भी निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को होगा।

9. <u>सुरक्षा निधि</u> –

(i) निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदा दाता को दी जायेगी।

(ii) स्वीकृति की सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर, सफल निविदा दाता को मात्र पाँच लाख रूपये सुरक्षा निधि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को रायपुर/नया रायपुर के बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर या बैंकर्स चैक या बैंक गारंटी के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना पाये जाने पर और समस्त देय राषि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को प्राप्त हो जाने पर, अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत बिना ब्याज के सुरक्षा निधि वापस कर दी जायेगी।

(iii) स्वीकृति की सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर ही सफल निविदादाता को एक वर्ष का लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

(iv) यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर उपरोक्त उपकंडिका (ii) या (iii) के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की राषि राजसात कर लेवें।

(v) अपरिहार्य कारणों से सफल निविदा दाता के लिखित अनुरोध पर विलंब शुल्क लेते हुए समयावधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को होगा।

10. <u>निविदा की वैधता</u> – निविदाएॅ, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिन की अवधि के लिए वैध रहेंगी। इसके उपरांत आपसी सहमति से वैधता को आगे बढाया जा सकेगा।

11. होर्डिंग के लिये चिन्हित किये गये मार्गो का नक्शा परिषिष्ट–I पर संलग्न है परन्तु निम्नांकित स्थानों पर होर्डिंग लगाया जाना प्रतिबंधित होगा :–

(1) ट्रैफिक साईन के 30 मीटर के भीतर

(2) सड़क तीराहे, चौराहे के केन्द्र से 100 मीटर के भीतर

(3) फुटपाथ एवं साइकल ट्रेक तथा उसके लिये प्रस्तावित स्थान पर

(4) एयरफनल में प्रतिबंधित ऊँचाई सीमा से अधिक ऊँचाई के यूनीपोल

(5) शिल्पविद्या सम्बंधी भवन (architectural Buildings), ललित कला सम्बंधी भवन (aesthetical Buildings) एवं अन्य भवनों पर, जैसा की समय–समय पर एन.आर.डी.ए. द्वारा घोषित किया जाये।

(6) धार्मिक महत्व के स्थान।

(7) प्रतिमा (statues), गेटवे (Gateways) एवं मॉनमेंटल (monumental) महत्व के।

(8) राज्य या स्थानीय महत्व के पर्यटक स्थल

(9) हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम।

(10) लाइब्रेरी एवं शैक्षणिक संस्थायें।

(11) श्मशान गृह (cremation grounds), कब्रिस्तान।

(12) पुलिस स्टेशन, पोस्टआफिस, कोई भी पब्लिक (Public) या सेमी–पब्लिक (Semi-Public) भवन।

(13) पार्क, चौक, खेल के मैदान, ग्रीनरी (greenery), खुले स्थान (open spaces) या वाटर बॉडी जैसे–तालाब, नहर, झील इत्यादि। सिवाय उन स्थानों के जो होर्डिंग/यूनिपोल के लिये एन.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित किये गये है।

(14) अन्य स्थान जो यातायात की दृष्टि से होर्डिंग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाये जिस संबंध में एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यद्यपि अपरिहार्य स्थिति में (On an exceptional basis) एन.आर.डी.ए. की कमेटी द्वारा गठित अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. द्वारा उपरोक्त किसी भी स्थानों पर होर्डिंग/यूनिपोल लगाये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

12. निम्नांकित क्षेत्रों (Following areas) में किसी भी प्रकार के विज्ञापनों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी –

(i) पेरीफेरल सड़को (Peripheral roads) को समाहित करते हुये केपिटल काम्पलेक्स (capital complex) के अंदर। (फेसिलिटी सेंटर (facility centre) एवं नार्थ तथा साऊथ ब्लॉक के सेंट्रल पेडेसट्रियन प्लाजा (pedestrian plazas) को छोड़कर)

(ii) सेंट्रल ओपन स्पेस (central open space) को समाहित करते हुये बोलीवार्ड रोड (Bowlerard road) के एक ओर से दूसरी ओर तक।

13. उपरोक्त कंडिका में प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में होर्डिंग का सटीक स्थान सफल निविदादाता और एनआरडीए के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमति के आधार पर निर्धारित होगा।

14. लाइसेंस के अंतर्गत चयनित स्थानों में किसी एक ही कार्यस्थल पर यूनिपोल एवं होर्डिंग, दोनों को स्थापित करने की माँग आने पर यद्यपि प्राथमिकता यूनिपोल स्थापित करने को दी जायेगी परन्तु इस पर अंतिम निर्णय इस कार्य हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. द्वारा लिया जायेगा जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

15. विज्ञापनों को प्रदर्शित करने का तरीका :–

(Manner of display of advertisements)

[A] **<u>प्रकरण से सम्बंधित विषय सूची (Thematic content)</u>**

निम्नांकित प्रकरणों/विषयों/संदेशो से संबंधित विज्ञापनों के प्रकाशन/प्रदर्शन/प्रचार की अनुमति नहीं होगी –

1. नग्नता एवं अश्लीलता।
2. किसी जाति, वर्ण, मत (creed), धर्म, राष्ट्र, कम्यूनिटि, प्रजाति (race) या संस्था इत्यादि का अपमान करने वाले विज्ञापन।
3. एल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट या तम्बाकू पदार्थो के विज्ञापन।
4. महिलाओं एवं बच्चों के शोषण से संबंधित विज्ञापन।
5. पशुओं के प्रति क्रूरता (depicting cruelty to animals) प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन।
6. किसी व्यक्ति या ब्रान्ड (Brand) या व्यापार की निन्दा करने वाले विज्ञापन।
7. हिंसा को गौरवान्वित करने वाले विज्ञापन।

8. शस्त्र (weapons) एवं उससे संबंधित अन्य मदो जैसे फायरआर्म एवं उससे संबंधित फायरआर्म पार्ट्स, मैगजीन्स, एम्यूनिशन (ammunition) इत्यादि प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन।
9. उपरोक्त के अलावा ऐसे अन्य विज्ञापन जो भारत सरकार या राज्य शासन में प्रचलित अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन करते हो।

[B] किसी भी एडवरटाइजिंग डिवाइस को यातायात में बाधा के तौर पर लिया जा सकता है यदि उससे –

1. सड़क सुरक्षा एवं यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता हो।
2. ट्रेफिक कंट्रोल डिवाइस (जैसे कि ट्रेफिक लाइट या अन्य संकेत चिन्ह) के प्रभावी ढंग से कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता हो।
3. यदि वह सड़क या अन्य अधोसंरचना (infrastructure), यातायात, पैदल चलने वाले, साइकिल चालक या सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिये खतरनाक अवरोध के तौर पर हो,
4. यदि वह ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पहले से ही अनेक डिवाइस मौजूद हो एवं उन सबका सामूहिक प्रभाव बाधा पहुँचा सकता हो।
5. यदि वह ऐसे स्थल पर हो जहाँ वाहन चालक को वाहन चलाते समय ज्यादा एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, जेसे की मेजर इन्टर सेक्शनल या मर्जिंग और डाइवर्जिंग लेन्स (merging and diverging lanes)।

[C] <u>संरचना/बाधायें (structures/Impediments):–</u>

1. **<u>विज्ञापनों के प्रकाषन हेतु उपयोग में आने वाले स्ट्रक्चर –</u>**

(a) होर्डिंग के मूल संरचना पर किसी भी प्रकार की reflective finish नहीं होनी चाहिये जिसकी वजह से वाहन चालक को असुविधा उत्पन्न हो।
(b) किसी भी ट्रेफिक, सिग्नल के विजन (vision) में बाधा नहीं डालना चाहिये।

(c) किसी भवन के वास्तुशिल्पीय गुणों को दर्शकों द्वारा देखने में बाधा/असुविधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
(d) आम लोगों द्वारा किसी दुकान को सामने से देखने में, जिससे दुकानदार के व्यापार के प्रभावित होने की आशंका हो, बाधा/असुविधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
(e) किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचायेंगे।
(f) स्ट्रीट/लेन/वायलेन/पेवमेन्ट पर किसी भी ऐसे स्थान को ब्लाक (block) नहीं करेंगे जिससे यातायात में या पैदल चलने वालों को कोई असुविधा उत्पन्न हो।

2. कोई भी एडवरटाइजिंग डिवाइस, किसी भी केटेगरी के अंतर्गत, किसी भी ऐसे स्थान पर स्थित नहीं होगी जो सड़क पर चलने वालों के लिये बाधा उत्पन्न करती हो।
3. एडवरटाइजिंग डिवाइस को मूल संरचना (supporting structure) के बतौर कम्पाउंड वाल, पब्लिक स्ट्रक्चर की दीवार इत्यादि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
4. स्ट्रक्चर का वह भाग जो सड़क पर कहीं से भी देखा जा सके, उसे सुरूचिपूर्ण ढंग से कवर (aesthetically covered) करना होगा।
5. होर्डिंग को इरेक्ट (erect) करते समय या हटाते समय निविदादाता द्वारा एन.आर.डी.ए. की भूमिगत/भूमि की सतह पर स्थित अधोसंरचना या अन्य परिसम्पत्तियों को हानि नहीं पहुँचाया जायेगा।

16. प्रथम चरण में नया रायपुर के परिषिष्ट–I पर संलग्न नक्षे के आधार पर विभिन्न स्थानों पर निष्चित आकार के लगभग 1000 वर्गमीटर के सकल क्षेत्रफल पर होर्डिंग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिये प्रतिष्ठित एडवरटाईजिंग एजेंसी से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है।

17. नया रायपुर के एक्सप्रेस–वे रोड, एयरपोर्ट रोड एवं वेस्ट एवेन्यू रोड पर विज्ञापन हेतु सिर्फ यूनिपोल लगाने की अनुमति होगी। इन रास्तों पर विज्ञापन हेतु होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी।

18. होर्डिंग के सतह का क्षेत्रफल **6.0 m x 3.0 m** होगा एवं भू–तल से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

19. लाइसेंस शुल्क होर्डिंग के सकल क्षेत्रफल पर देना होगा। **"व्ही"** आकार/बैक टू बैक होर्डिंग जिसमें एक से अधिक सतह में विज्ञापन हो, लगाने की भी अनुमति होगी परंतु प्रत्येक सतह के लिए पृथक लाइसेंस शुल्क देना होगा।

20. सामान्यतः दो होर्डिंग या दो यूनिपोल या होर्डिंग एवं यूनिपोल के मध्य न्यूनतम अन्तर 200 मीटर होगा परन्तु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या राज्य शासन के विज्ञापनों के लिये होर्डिंग/यूनिपोल नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उपरोक्त के मध्य भी लगाये या लगवाये जा सकेंगे।

21. लाइसेंस के संबंध में उपरोक्त कंडिकाओं के अलावा निम्नांकित नियमन भी लागू होंगे –

(1) होर्डिंग स्टील स्ट्रक्चर/अनुमोदित स्ट्रक्चर पर आधारित होंगी एवं सुरक्षा की जवाबदारी लाइसेंस धारी पर होगी।

(2) होर्डिंग के लिए विद्युत व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करने का उत्तरदायित्व लाइसेंस धारी पर होगा। इस हेतु सड़क काटे जाने या ओव्हर हेड वाईरिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) सफल निविदा दाता को सौर ऊर्जा से विद्युत के द्वारा प्रकाष व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु जिस होर्डिंग पर लाइसेंसधारी द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की व्यवस्था की जायेगी, उसके वार्षिक लाइसेंस शुल्क में प्रोत्साहन राषि के फलस्वरूप 10 प्रतिषत कमी की जायेगी। कमी की गई राषि का समायोजन आगामी वर्ष के लाइसेंस शुल्क में होगा।

(4) होर्डिंग पर प्रचार सामग्री षिष्ट, सुरूची पूर्ण एवं सामाजिक सौहाद्रता को ध्यान में रखकर बनाये जाने का उत्तरदायित्व लाइसेंस धारी पर होगा। इसका उल्लघंन होने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

(5) यदि सुरक्षा या अन्य अपरिहार्य कारणों से किसी स्थान से होर्डिंग हटाने की आवष्यकता हो तो लिखित सूचना दिये जाने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर, लाइसेंसधारी को होर्डिंग अपने व्यय पर हटा लेना होगा।

(6) एनआरडीए को अधिकार होगा कि वह लाइसेंस के अंतर्गत चयनित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों का आबंटन अन्य को कर सकें।

(7) निविदादाता बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि नया रायपुर योजना क्षेत्र में एन.आर.डी.ए. द्वारा विज्ञापनों को प्रदर्शित (Display of Advertisements) करने के संबंध में भविष्य में जारी होने वाले सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइडलाइन्स, पॉलिसी, निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी।

(8) यदि सफल निविदादाता प्रीमियम के किसी भाग का अथवा किराये का अथवा शुल्क या सेवा अधिभार अथवा किसी अन्य अधिभार का भुगतान नहीं करता है, तथा राशि बकाया के रूप में शेष रहती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को अधिकार होगा कि विलंब की अवधि के लिए **दंड प्रभार जो भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्राइम लेंडिंग रेट (SBI PLR) की दर से दो प्रतिषत अधिक** हो, वसूल कर सके तथा ऐसी बकाया राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में वसूल कर सके।

परंतु यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक रहती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को अधिकार होगा कि यथास्थिति अनुबंध को निरस्त कर संपत्ति में पुनर्प्रवेश कर ले।

(9) यदि सफल निविदादाता करार के शर्तों के तहत देय राषि अथवा उसके किसी भाग की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को अधिकार होगा कि अनुबंध समाप्त करते हुए जमा राशि राजसात कर लेवें। इस संबंध में एन. आर.डी.ए. को हुए किसी हानि की राशि भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

(10) अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सफल निविदादाता होर्डिंग / यूनिपोल संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा। अनुबंध के लिये जमा की गयी राशि वापस नहीं की जायेगी।

(11) अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए द्वारा अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में, यदि उन उल्लंघनों को आबंटिती द्वारा निरस्तीकरण की सूचना के 90 दिनों के भीतर सुधारे जाने हेतु वचन दिया जाता है और नोटरी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाता है जिसमें उल्लंघनों को सुधार कर इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर इस हेतु निर्धारित किये गये शुल्क के भुगतान किये जाने का वचन देता है और उसका पालन करता है तो अनुबंध को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

(12) यदि अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन किया जाता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को अनुबंध को निरस्त करने तथा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को भुगतान की गई राशि राजसात करने की शक्ति होगी।

परंतु अनुबंध निरस्त किये जाने के पूर्व सफल निविदादाता/लाइसेंसधारी को सूचना दी जावेगी, और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

(13) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. के द्वारा किसी भी समय निर्देशित किये जाने पर सफल निविदादाता/लाइसेंसधारी को बिना किसी मुआवजा के स्वयं के व्यय पर होर्डिंग/यूनिपोल को रीएलाइन (realign), रीएडजस्ट (readjust) या शिफ्ट (shift) करना होगा। यद्यपि होर्डिंग/यूनिपोल का सटीक स्थान सफल निविदादाता और एन.आर.डी.ए. के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमति के आधार पर एक बार तय हो जाने पर अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कम से कम तीन वर्षों तक रीएलाइन (realign), रीएडजस्ट (readjust) या शिफ्ट (shift) करने संबंधी निर्देष प्रदान नहीं किये जायेंगे। यदि अपरिहार्य स्थितियों में तीन वर्ष के भीतर ऐसा कोई निर्देश दिये जाने की स्थिति बनती है तो मुआवजा के संबंध में एन.आर.डी.ए. की कमेटी द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. लाइसेंसधारी को प्रत्येक होर्डिंग में एनआरडीए द्वारा जारी लाइसेंस क्रमांक एवं लाइसेंस की समाप्ति की तिथि होर्डिंग के दॉयें कोने में नीचे लिखना होगा।

23. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो अध्यक्ष, एन.आर.डी.ए. का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. इच्छुक निविदा दाता से प्राप्त शंकाओं/प्रष्नों (Query) के आधार पर या नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्वप्रेरणा से अंतिम तिथि के पाँच दिवस पूर्व तक निविदा शर्तों में संषोधन किया जा सकेगा एवं ऐसे संषोधनों की सूचना सिर्फ नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाईट **www.nayaraipur.gov.in** पर ही दी जायेगी।

25. किसी निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिए
निविदा प्रपत्र
(कृपया अपने लेटरहेड का प्रयोग करें)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
केपीटल काम्पलेक्स, सेक्टर–19,
नया रायपुर (छ.ग.)–492002

विषय :– नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिए निविदा आमंत्रण।

संदर्भः– क्र. /6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक / /2015

मैं/हम...
पता..जिला....................................
नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिग्स लगाने हेतु लाइसेंस के लिए बुलायी गई निविदा के अंतर्गत अपनी निविदा निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ –

प्रकार	प्रस्तुत निविदा दर (प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर)	
	वार्षिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में)	वार्षिक लाइसेंस शुल्क (षब्दों में)
होर्डिग्स		

2. मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे/हमें मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त में निर्धारित अर्नेस्टमनी की राषि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ संलग्न की है।

3. हमारे फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है। मुझे/हमें एडवरटाईजमेंट के क्षेत्र में 5 वर्षो (दिनांक 31.03.2015 की तिथि में) का अनुभव है जिस संबंध में चार्टड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण–पत्र तथा सर्विस टैक्स में पंजीयन का प्रमाण–पत्र एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति इस निविदा के साथ संलग्न है। यदि प्रमाण–पत्र निर्धारित स्वरूप में नहीं पाया जाता तो एनआरडीए को अधिकार होगा की मेरी निविदा निरस्त कर दे।

4. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राषि जमा करूंगा तथा लाइसेंस अनुबंध का स्वयं के व्यय पर पंजीयन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राषि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंवे।

संलग्न :—

(1) निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1,00,000/— (रूपये लाख) मात्र की राषि अर्नेस्टमनी के रूप में तथा रू. 5,000/— (रूपये पॉच हजार) मात्र की राषि निविदा प्रपत्र के शुल्क के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को देय बैंक ड्राफ्ट।

(2) फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

(3) एडवरटाईजमेंट के क्षेत्र में 5 वर्षों (दिनांक 31.3.2015 की तिथि में) के अनुभव के समर्थन में चार्टड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण—पत्र

(4) सर्विस टैक्स में पंजीयन का प्रमाण—पत्र

(5) पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति

निविदादाता का हस्ताक्षरः—................

नामः—..
पताः—..
....
....
फोन/फैक्सः—...............................
ई—मेलः—..
दिनांकः— ....

(1) साक्षी का हस्ताक्षर ....
नामः—..
पताः—..
....
दिनांकः— ....

(2) साक्षी का हस्ताक्षर ....
नामः—..
पताः—..
....
दिनांकः— ....